



## खान और खनजि अधिनियम, 1957 में संशोधन

### प्रलिस के लयः

खान और खनजि अधिनियम 1957, भारत में कोयला ।

### मेन्स के लयः

संशोधन का महत्त्व, MMDR अधिनियम ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धातुओं के पोटाश, पन्ना और प्लैटिनम समूह सहित कुछ खनजिों की रॉयल्टी दरों को नरिदषिट करने के लखिखान और खनजि (वकिस और वनियिमन) अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ।

- **MMDR अधिनियम, 1957** भारत में खनन क्षेत्र को नरिदषिट करता है, साथ ही खनन कार्यों के लयि खनन पट्टे प्राप्त करने एवं देने की आवश्यकता को नरिदषिट करता है ।

## भूमिका:

- देश की खनजि संपदा के आवंटन में पारदर्शिता और गैर-भेदभाव सुनशिक्षति करने के लयि नीलामी के माध्यम से खनजि रयियतें देने की नई व्यवस्था की शुरुआत करने हेतु वर्ष **2015 में अधिनियम** में संशोधन कयि गया था ।
- खनजि क्षेत्र को गति देने के लयि वर्ष 2021 में अधिनियम में संशोधन कयि गया । सुधारों के तहत सरकार ने खनजि ब्लॉकों की नीलामी, उत्पादन में वृद्धि, देश में व्यापार करने में आसानी तथा **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** में खनजि उत्पादन के योगदान को बढ़ाने के लयि प्रोत्साहित कयि है ।
  - सुधारों में सांघिकि आवश्यकताओं, कैप्टवि खानों से संबंधित अंतिम उपयोग प्रतर्बिधों को हटाने, कैप्टवि और गैर-कैप्टवि खानों के बीच वभिजन, खनजि-रयियतों की नीलामी एवं हस्तांतरण, राष्ट्रीय खनजि अन्वेषण ट्रस्ट (NMET), राष्ट्रीय खनजि सूचकांक (NMI), नजिी क्षेत्र को शामिल करना आदि से संबंधित प्रावधान हैं ।
- खान मंत्रालय ने खनजिों की खोज का कार्य बढ़ाने के लयि भी कदम उठाए हैं, जसिसे नीलामी हेतु अधिक ब्लॉक की उपलब्धता सुनशिक्षति हुई है ।
  - न केवल लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर जैसे पारंपरिक खनजिों के लयि बल्कि पृथ्वी के अंदर स्थित खनजिों, उर्वरक खनजिों, संवेदनशील खनजिों के आयात के लयि भी अन्वेषण गतिविधियों में वृद्धि हुई है ।
  - पछिले 4-5 वर्षों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनजि अन्वेषण नगिम लिमिटेड जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने अन्वेषण के क्षेत्र में कार्य कयि और राज्यों को रपिर्त सौपी है ।

## वगित वर्षों के प्रश्न

नमिनलखिति खनजिों पर वचिार कीजयि: (2020)

1. बेंटनाइट
2. क्रोमाइट
3. कायनाइट
4. सलिमैनाइट

उपर्युक्त में से कौन-सा/से खनजि आधिकारिक तौर पर भारत में नामति है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 4

- (c) केवल 1 और 3  
(d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

## खनजि रियायत:

- तीन प्रकार की खनजि रियायतें हैं, जैसे- टोही परमिट (RP), पूर्वेक्षण लाइसेंस (PL) और खनन पट्टा (ML)।
- RP कर्षेत्रीय, हवाई, भूभौतिकीय या भू-रासायनिक सर्वेक्षण और भूवैज्ञानिक मानचित्रण के माध्यम से एक खनजि के प्रारंभिक पूर्वेक्षण के लिये प्रदान किया जाता है।
- PL खनजि जमा की खोज, पता लगाने या साबित करने के उद्देश्य से संचालन के लिये दिया जाता है।
- ML किसी भी खनजि के संचालन हेतु दिया जाता है।

## वर्षों के प्रश्न

भारत के खनजि संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2010)

खनजि 90% प्राकृतिक स्रोत

1. ताँबा - झारखंड
2. निकेल - ओडिशा
3. टंगस्टन - केरल

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सुमेलित है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2  
(b) केवल 2  
(c) केवल 1 और 3  
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

## स्वीकृत से संबंधित प्रमुख बट्टि:

- अनुमोदन से ग्लूकोनाइट, पोटाश, एमराल्ड, प्लेटनिम ग्रुप ऑफ़ मेटल्स, अंडालूसाइट और मोलबिडेनम के संबंध में खनजि ब्लॉकों की नीलामी सुनिश्चित होगी जिससे मूल्यवान वदेशी मुद्रा भंडार की बचत करने वाले इन खनजि के आयात में कमी आएगी।
  - ग्लूकोनाइट और पोटाश का उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है। धातुओं के प्लेटनिम समूह और अंडालूसाइट और मोलबिडेनम उद्योगों में उपयोग किये जाने वाले उच्च मूल्य वाले खनजि हैं।
- खान मंत्रालय ने खदानों की नीलामी में बेहतर भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये रॉयल्टी की उचित दरों का प्रस्ताव किया है।
  - रॉयल्टी एक ऐसा शुल्क है जो स्थानीय, राज्य या संघीय सरकारों द्वारा किसी खदान में उत्पादित खनजि की मात्रा या खदान से बेचे गए खनजि से प्राप्त राजस्व या लाभ पर लगाया जाता है।
- खान मंत्रालय इन खनजि ब्लॉकों की नीलामी को सक्षम करने के लिये आवश्यक खनजि के औसत बिक्री मूल्य (ASP) की गणना हेतु एक पद्धति प्रदान करेगा।
- अंडालूसाइट, सिलीमैनाइट और कायनाइट, जो कर्न पॉलीमॉर्फ खनजि हैं, के लिये रॉयल्टी की दर समान स्तर पर रखी जाती है।
  - पॉलीमॉर्फ एक ही रासायनिक संरचना वाले ऐसे खनजि होते हैं, जिनकी क्रिस्टल संरचनाएँ अलग होती हैं।
- इस अनुमोदन से खनन कर्षेत्र के साथ-साथ वनरिमाण कर्षेत्र में सशक्तीकरण के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी, जो समाज के एक बड़े वर्ग के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
  - इस मंजूरी से देश में पहली बार ग्लूकोनाइट, पोटाश, एमराल्ड, प्लेटनिम ग्रुप ऑफ़ मेटल्स, अंडालूसाइट और मोलबिडेनम के खनजि ब्लॉकों की नीलामी सुनिश्चित होगी।

## वर्षों के प्रश्न:

भारत में ज़िला खनजि फाउंडेशन का/के क्या उद्देश्य है/हैं? (2016)

1. खनजि समृद्ध ज़िलों में खनजि अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देना
2. खनन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना
3. राज्य सरकारों को खनजि अन्वेषण के लिये लाइसेंस जारी करने हेतु अधिकृत करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

## भारत में खनजिों का नयिमन:

### ■ खनजिों का स्वामतित्व:

- राज्य की सीमा के भीतर स्थिति खनजिों का स्वामतित्व संबंधित राज्य सरकार के पास है।
  - 'ज़िला खनजि फाउंडेशन' भारत में राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना के माध्यम से स्थापित वैधानिक निकाय हैं। वे खान एवं खनजि (विकास व वनियमन) अधिनियम, 1957 से अपनी कानूनी स्थिति प्राप्त करते हैं।
  - 'ज़िला खनजि फाउंडेशन' का उद्देश्य खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित में राज्य सरकार द्वारा नरिधारित तरीके से काम करना है।
- प्रादेशिक जल या भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र के नीचे के खनजिों पर केंद्र सरकार का स्वामतित्व है।
  - 'इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी' (ISA) वह संगठन है, जिसके माध्यम से UNCLOS के सदस्य समग्र मानव जाति के लाभ हेतु क्षेत्र में सभी खनजि-संसाधन-संबंधित गतिविधियों का आयोजन एवं नयितरण करते हैं।

### ■ खनजि रियायतें प्रदान करना:

- राज्य सरकारें खान एवं खनजि (विकास एवं नयिमन) अधिनियम, 1957 तथा खनजि रियायत नयिम, 1960 के प्रावधानों के तहत राज्य की सीमा के भीतर स्थिति सभी खनजिों के लिये खनजि रियायतें प्रदान करती हैं।
- हालाँकि खान और खनजि (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में नरिदष्टित खनजिों के लिये केंद्र सरकार का अनुमोदन आवश्यक है। अनुसूची I में कोयला और लग्नाइट जैसे खनजि तथा यूरेनियम और थोरियम युक्त "दुर्लभ मृदा" समूह के खनजि शामिल हैं।
- इसके अलावा केंद्र सरकार समय-समय पर कुछ खनजिों को 'लघु' खनजिों के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके लिये आवेदन प्राप्त करने और अनुदान देने की प्रक्रियाओं पर नरिणय लेने की पूर्ण शक्तियाँ केंद्र के पास हैं।
- रियायतें, रॉयल्टी की दरें तय करना, नरिधारित करिया और आदेशों को संशोधित करने की शक्ति केवल राज्य सरकार के पास है।
  - लघु खनजिों के उदाहरणों में भवन नरिमाण में प्रयोग होने वाले पत्थर, बजरी, साधारण मट्टि व रेत शामिल हैं।

## वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: नमिनलखित कथनों पर वचिार कीजिये:

1. वैश्विक महासागर आयोग अंतरराष्ट्रीय जल में समुद्र तल की खोज एवं खनन हेतु लाइसेंस प्रदान करता है।
2. भारत को अंतरराष्ट्रीय जल में समुद्र तल में खनजि अन्वेषण हेतु लाइसेंस प्राप्त हुआ है।
3. 'दुर्लभ मृदा तत्त्व' अंतरराष्ट्रीय जल में समुद्र तल पर मौजूद हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: B

स्रोत: पी.आई.बी.